उर्दू प्रेस की समीक्षा और विश्लेषण

वर्ष 8 अंक 19 1-15 अक्टूबर 2025 ₹ 20/-

भारत-अफगानिस्तान संबंधों में नए अध्याय की शुरुआत

- आरएसएस के शताब्दी समारोह पर उर्दू मीडिया की प्रतिक्रिया
- पाकिस्तान और अफगानिस्तान में युद्धविराम
- हमास और इजरायल के बीच युद्धविराम समझौते पर हस्ताक्षर
- जम्मू-कश्मीर में अलगाववादी संगठनों के खिलाफ अभियान

परामर्शदाता
डॉ. कुलदीप रतनू

सम्पादक
मनमोहन शर्मा*

सम्पादकीय सहयोग
शिव कुमार सिंह

कार्यालय
डी–51, प्रथम तल,
हौज खास, नई दिल्ली–110016
दूरभाषः 011–26524018

E-mail:
info@ipf.org.in
indiapolicy@gmail.com

Website:
www.ipf.org.in

मुद्रक–प्रकाशकः मनमोहन शर्मा द्वारा भारत नीति प्रतिष्ठान के लिए डी–51, प्रथम तल, हौज खास, नई दिल्ली–110016 से प्रकाशित तथा साई प्रिंटओ पैक प्रा.लि., ए–102/4, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस–2, नई दिल्ली–110020 से मुद्रित

*अनुवाद के लिए पूरी तरह जिम्मेदार

अनुक्रमणिका

सारांश 03

राष्ट्रीय

भारत-अफगानिस्तान संबंधों में नए अध्याय की शुरुआत 04
आरएसएस के शताब्दी समारोह पर उर्दू मीडिया की प्रतिक्रिया 08
मदरसों के बारे में उत्तराखंड सरकार का अहम फैसला 13
घुसपैठियों के कारण मुस्लिम जनसंख्या में भारी वृद्धि 14
जम्मू-कश्मीर में अलगाववादी संगठनों के खिलाफ अभियान 16

विश्व

पाकिस्तान और अफगानिस्तान में युद्धविराम 18
बांग्लादेश द्वारा चीन से लड़ाकू विमानों की खरीद 21
पाकिस्तान में हिंसक घटनाओं में भारी वृद्धि 22
ब्रिटेन में यहूदी उपासना स्थल पर आतंकी हमला 23
इटली में बुर्का और नकाब पर प्रतिबंध 24

पश्चिम एशिया

हमास और इजरायल के बीच युद्धविराम समझौते पर हस्ताक्षर 25
ईरान रूस से लड़ाकू विमान खरीदेगा 27
सूडानी सेना द्वारा 100 से अधिक विद्रोहियों की हत्या 28
इजरायल द्वारा हूती सेना प्रमुख की हत्या 29
सीरिया द्वारा रूस से सहायता की गुहार 30

सारांश

2021 में अमेरिकी सेना की वापसी के बाद तालिबान ने अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जा कर लिया था। तब से तालिबान के प्रति भारत सरकार का रुख आलोचनात्मक रहा है। इसमें संदेह नहीं है कि अफगानिस्तान की पूर्ववर्ती सरकारों के प्रति भारत का रुख सहानुभूतिपूर्ण रहा है। भारत ने अफगानिस्तान में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत की थी, लेकिन तालिबान के फिर से सत्ता में आने के बाद ये प्रोजेक्ट खटाई में पड़ गए थे। संयुक्त राष्ट्र और अन्य विदेशी सरकारों द्वारा अफगानिस्तान की तालिबान सरकार पर लगाए गए प्रतिबंधों को देखते हुए भारत सरकार ने भी विश्व का साथ दिया था। अब अमेरिका और पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक रुख अपनाया है। इसे देखते हुए अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को भारत के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने की जरूरत महसूस हुई है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा तालिबान के नेताओं के विदेशी दौरे पर लगाए गए प्रतिबंधों के कारण अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी को दो बार अपना भारत दौरा रद्द करना पड़ा था। बाद में भारत के अनुरोध पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी को भारत दौरे की अनुमति दी। मुत्ताकी का छह दिवसीय भारत दौरा सफल रहा है।

दूसरी ओर, पाकिस्तान तमाम अंतरराष्ट्रीय नियमों को ताक पर रख कर अफगानिस्तान की वायु सीमा का लगातार उल्लंघन कर रहा है। हाल ही में पाकिस्तानी वायुसेना ने अफगानिस्तान के कई शहरों पर हवाई हमले किए हैं। इन हमलों में कई अफगान मारे गए हैं। इस घटनाक्रम को देखते हुए भारत ने अपनी विदेश नीति में एक नए अध्याय की शुरुआत की है। भारत सरकार ने अफगानिस्तान में फिर से अपना दूतावास खोलने का फैसला किया है। भारत और अफगानिस्तान के बीच सुधरते हुए रिश्तों से पाकिस्तान और अमेरिका की नींद हराम हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने अफगान सरकार से मांग की थी कि वह बगराम एयरबेस को फिर से अमेरिका के हवाले कर दे। अफगान की तालिबान सरकार ने ट्रम्प की इस मांग को सिरे से खारिज कर दिया है। पाकिस्तान अमेरिका के इशारे पर अफगान सरकार को आर्थिक रूप से पंगु बनाने में जुटा हुआ है। यही कारण है कि उसने पाकिस्तान के रास्ते से होने वाले अफगानिस्तान के व्यापार को पूरी तरह से ठप कर दिया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अफगानिस्तान को 'दुश्मन देश' करार दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि अफगानिस्तान भारत की गोद में बैठ गया है।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने शताब्दी वर्ष के अवसर पर कार्यक्रमों की शुरुआत कर दी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आरएसएस के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 100 रुपये का एक विशेष स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया है। उर्दू अखबारों ने संघ के इन कार्यक्रमों पर मिलीजुली प्रतिक्रिया दी है। इन अखबारों ने संघ के कार्यक्रमों से संबंधित समाचार और संपादकीय प्रमुखता से प्रकाशित किए हैं।

अमेरिका के प्रयास से इजरायल और हमास के बीच युद्धविराम समझौता हो गया है। यह युद्धविराम कब तक बरकरार रहेगा इस पर दावे से कुछ भी कहना कठिन है। इसका मुख्य कारण यह है कि इस समझौते के तहत हमास को अपने हथियार डालने पड़ेंगे, लेकिन वह इसके लिए तैयार नहीं है। कई देशों और संगठनों ने मांग की है कि गाजा में स्थायी शांति के लिए हमास को निःशस्त्र करना होगा। इजरायली सेना द्वारा गाजा क्षेत्र को पूरी तरह से खाली करने का मामला भी अभी तक उलझा हुआ है।

भारत–अफगानिस्तान संबंधों में नए अध्याय की शुरुआत

इंकलाब (11 अक्टूबर) के अनुसार भारत ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में अपना दूतावास फिर से खोलने का फैसला किया है। उल्लेखनीय है कि चार साल पहले अफगानिस्तान में तालिबान के सत्तारूढ़ होने के बाद भारत ने काबुल स्थित अपना दूतावास बंद कर दिया था। भारत सरकार का यह कदम अफगान सरकार के साथ संबंधों को मजबूत बनाने और इस क्षेत्र में स्थिरता को बढ़ाने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। नई दिल्ली में दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की एक बैठक हुई। इस बैठक में अफगान विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी और भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने भाग लिया। बैठक के बाद जयशंकर ने घोषणा की कि भारत ने काबुल स्थित तकनीकी मिशन को दूतावास का दर्जा देने का फैसला किया है। भारत ने अफगानिस्तान को दी जाने वाली आर्थिक सहायता में भी बढ़ोतरी करने की घोषणा की है। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी अपने छह दिवसीय दौरे पर भारत आए हैं। मुत्ताकी ने भारत सरकार को आश्वासन दिया है कि अफगानिस्तान की भूमि का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों के लिए नहीं होने दिया जाएगा।

2021 के बाद किसी भी तालिबान के शीर्ष नेता का यह पहला भारत दौरा है। जयशंकर ने कहा कि भारत अफगानिस्तान की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए कटिबद्ध है। जबकि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुत्ताकी ने कहा कि अफगानिस्तान भारत के साथ अपने पुराने संबंधों को और भी मजबूत बनाने के लिए कटिबद्ध है। पिछले दिनों अफगानिस्तान में आए भीषण भूकंप से हुई तबाही से उबरने के लिए भारत ने अफगानिस्तान को भारी आर्थिक सहायता दी थी। भारत ने सद्भावना के तौर पर अफगानिस्तान को 20 एंबुलेंस उपहार में दी है। भारत अफगानिस्तान के अस्पतालों को एमआरआई और सीटी स्कैन मशीनें भी प्रदान करेगा। इसके अतिरिक्त अफगानिस्तान को भारी मात्रा में दवाइयां भी उपलब्ध कराई जाएंगी।

अवधनामा (12 अक्टूबर) के अनुसार इस्लामिक शिक्षण संस्थान दारुल उलूम देवबंद में अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी

का शानदार स्वागत किया गया। दारुल उलूम के प्रमुख मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी ने मुत्ताकी को हदीस-ए-सनद की मानद उपाधि प्रदान की। इस उपाधि के मिलने का मतलब यह है कि अब मुत्ताकी अपने नाम के आगे मौलाना और कासमी लिख सकेंगे। इस अवसर पर नोमानी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि मुत्ताकी के भारत दौरे से पाकिस्तान के शासक बेहद परेशान हैं। उन्होंने कहा कि भारत और अफगानिस्तान के संबंध शताब्दियों पुराने हैं। नोमानी ने कहा कि अफगान छात्रों के लिए दारुल उलूम देवबंद के दरवाजे खुले हुए हैं और हम उनका स्वागत करेंगे। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान का भारत के स्वतंत्रता संग्राम से भी गहरा संबंध रहा है। यह ऐतिहासिक तथ्य है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 1915 में अफगानिस्तान में भारत की पहली निर्वासित (अस्थायी) सरकार बनी थी। राजा महेन्द्र प्रताप सिंह इस सरकार के राष्ट्रपति और मौलवी बरकतुल्लाह खान प्रधानमंत्री बने थे। जबकि मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी गृह मंत्री बने थे। नोमानी ने कहा कि अफगानिस्तान की सहायता से हमने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उन्होंने कहा कि अफगान जनता हमेशा आजाद रही है। उन्होंने रूस और अमेरिका जैसी ताकतों को धूल चटाकर अपनी स्वतंत्रता को बरकरार रखा।

समाचारपत्र के अनुसार आमिर खान मुत्ताकी ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा की और भारत द्वारा चलाए गए 'ऑपरेशन सिंदूर' का स्वागत किया। मुत्ताकी दारुल उलूम के छात्रों से भी मुलाकात करने वाले थे, लेकिन सुरक्षा कारणों से इस कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया। वहीं, विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन ने भी मुत्ताकी के सम्मान में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया।

उर्दू टाइम्स (12 अक्टूबर) का दावा है कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी का भारत दौरा एक विचित्र घटना है। यह भारत की विदेश नीति की अस्पष्टता और उलझनों को भी रेखांकित करता है। कभी भारत सरकार ने इन्हीं तालिबान नेताओं को आतंकवादी, कट्टरपंथी और मानवता के लिए खतरा बताया था। आज वही तालिबान नेता नई दिल्ली के सरकारी मेहमान बनकर आते हैं। भारत सरकार उनके सम्मान में कई कार्यक्रमों का आयोजन करती है। तालिबान के साथ बातचीत को क्षेत्रीय शांति और द्विपक्षीय हित के रूप में पेश किया जा रहा है। सवाल पैदा होता है कि क्या तालिबान बदल गए हैं या भारत का हित बदल गया है? मोदी सरकार की इस नई नीति को समझना आसान नहीं है। एक ओर तो, सरकार यह दावा करती है कि आतंकवाद के खिलाफ उसकी नीति 'जीरो टॉलरेंस' की है। दूसरी ओर, तालिबान के प्रतिनिधियों के लिए सुर्ख कालीन बिछा दिया जाता है।

समाचारपत्र ने पूछा है कि अगर वे इतने ही महत्त्वपूर्ण थे तो भारत सरकार ने अभी तक तालिबान सरकार को मान्यता क्यों नहीं दी? यह कहना गलत नहीं होगा कि मोदी सरकार की वर्तमान विदेश नीति राष्ट्रीय हितों पर नहीं, बल्कि

मौकापरस्ती पर चल रही है। सरकार की इस अस्थिर नीति के कारण दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा को भारी धक्का लगा है।

इसी समाचारपत्र ने अपने संपादकीय में कहा है कि मोदी सरकार की विदेश नीति की नई करवट ने दुनिया को हैरान कर दिया है। इससे साफ जाहिर होता है कि भारत की कोई स्थिर नीति नहीं है, बल्कि वह हालात के अनुसार रंग बदलता है।

चट्टान (12 अक्टूबर) ने अफगानिस्तान के विदेश मंत्री के भारत दौरे को पाकिस्तान के लिए जबरदस्त धक्का करार दिया है। विश्लेषकों के अनुसार भारत अफगानिस्तान से यह आश्वासन चाहता है कि अब उसकी भूमि का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों के लिए नहीं होगा। दूसरी ओर, तालिबान सरकार अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहती है। वह चाहती है कि देश की अर्थव्यवस्था के नवनिर्माण के लिए ज्यादा से ज्यादा विदेशी पूंजी निवेश हो। समाचारपत्र ने संतोष प्रकट किया है कि भारत ने अफगानिस्तान के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने और काबुल में अपना दूतावास खोलने का फैसला किया है।

रोजनामा सहारा (14 अक्टूबर) ने अपने संपादकीय में भारत द्वारा तालिबान के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने पर संतोष प्रकट किया है। समाचारपत्र ने इसे तालिबान के लिए सबसे बड़ी कूटनीतिक सफलता करार दिया है। तालिबान के लिए दिल्ली का दरवाजा खुलने का मतलब यह है कि अब तालिबान सिर्फ काबुल के शासक ही नहीं हैं, बल्कि वे इस पूरे क्षेत्र में एक राजनीतिक हकीकत बन चुके हैं और उनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती है। आमिर खान मुत्ताकी का दिल्ली पहुंचना अफगानिस्तान की नई पहचान की शुरुआत है। अब काबुल दुनिया के नक्शे पर एक युद्ध के रूप में नहीं, बल्कि एक राष्ट्र के रूप में उभर रहा है।

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (13 अक्टूबर) ने अफगान विदेश मंत्री के दारुल उलूम देवबंद दौरे का स्वागत करते हुए कहा है कि दारुल उलूम और काबुल के दीनी रिश्ते हैं। जमीयत उलेमा के अध्यक्ष अरशद मदनी ने कहा कि अफगानिस्तान के साथ भारत के दीनी और तालिमी रिश्ते हैं। मुत्ताकी को हदीस-ए-सनद प्रदान की गई है। अब वे अपने नाम के साथ कासमी लिखने के हकदार बन गए हैं। यह अफगानिस्तान की तालिबान सरकार और दारुल उलूम देवबंद दोनों का जबरदस्त सम्मान है।

हिंदुस्तान (12 अक्टूबर) ने अपने संपादकीय में अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी के भारत दौरे का स्वागत किया है। समाचारपत्र ने कहा है कि इससे पहले भी हामिद करजई और अशरफ गनी की सरकार के साथ भारत के नजदीकी और सकारात्मक रिश्ते रहे हैं। भारत ने अफगानिस्तान के नवनिर्माण और आर्थिक ढांचे को विकसित बनाने में भरपूर योगदान दिया है। आशा है कि यह गतिविधि पहले से भी ज्यादा तेजी से जारी रहेगी।

समाचारपत्र ने कहा है कि भारत के हिंदूवादी संगठनों का रुख हमेशा इस्लाम और

तालिबान के खिलाफ रहा है। शायद इन्हीं संगठनों के दबाव के चलते मोदी सरकार ने अब तक तालिबान से दूरी बनाए रखी। भारत-पाकिस्तान संघर्ष और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की भारत विरोधी नीति के कारण मोदी सरकार की सफल विदेश नीति की कलई पूरी तरह से खुल गई है। आज भारत विश्व में अलग-थलग नजर आ रहा है। शायद इस सच्चाई का अहसास मोदी सरकार को भी हुआ है। यही कारण है कि सरकार ने अपनी विदेश नीति पर पुनर्विचार करके अधिक से अधिक देशों को भारत समर्थक बनाने का अभियान शुरू कर दिया है। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री का भारत दौरा इसी सिलसिले की एक कड़ी है। देखना यह है कि मोदी सरकार और काबुल के बीच शुरु हुआ नया अध्याय कब तक बरकरार रहता है, क्योंकि कट्टरवादी हिंदू लॉबी को मोदी सरकार के ये प्रयास पसंद नहीं हैं। वे तालिबान को कट्टरपंथी कहते हैं और उससे दूरी बनाए रखने के समर्थक हैं। समाचारपत्र ने आशा व्यक्त की है कि सरकार इन हिंदूवादी ताकतों के सामने आत्समर्पण नहीं करेगी और अफगानिस्तान के मामले में अपनी नई नीति पर कटिबद्ध रहेगी।

एतेमाद (13 अक्टूबर) ने कहा है कि जबसे तालिबान अफगानिस्तान में सत्तारूढ़ हुए हैं तब से भारत सरकार का रुख उनके प्रति कड़ा रहा है। इससे पहले किसी ने भी यह सोचा नहीं होगा कि तालिबान का कोई वरिष्ठ नेता भारत का दौरा करेगा और दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध स्थापित होंगे। मुत्ताकी का भारत दौरा तब हुआ है जब पाकिस्तान अफगानिस्तान को लगातार अपने हवाई हमलों का निशाना बना रहा है। भारत के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाना तालिबान सरकार की महत्त्वपूर्ण राजनयिक सफलता है। समाचारपत्र ने आशा व्यक्त की है कि भारत अपनी इस नई नीति पर टिका रहेगा। मुत्ताकी का भारत दौरा पाकिस्तान के लिए एक जबरदस्त झटका है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ अफगानिस्तान को खुलेआम दुश्मन देश कह चुके हैं। चीन व पाकिस्तान के बढ़ते हुए प्रभाव का मुकाबला करने के लिए भारत को ईरान और पश्चिम एशिया के अन्य मुस्लिम देशों के साथ बेहतर संबंध स्थापित करने की जरूरत है।

अवधनामा (12 अक्टूबर) ने अपने संपादकीय में कहा है कि किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि मोदी सरकार अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के साथ अपने संबंधों को सुधारने के लिए इस तरह का महत्त्वपूर्ण कदम उठाएगी। भारत ने 2021 के बाद पहली बार अफगानिस्तान की संप्रभुता का खुलकर समर्थन किया है। भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा है कि भारत ने हमेशा अफगास्तिान का साथ दिया है और वह हमारे लिए बेहद महत्त्वपूर्ण है। तालिबान सरकार ने खुलेआम पाकिस्तानी आतंकवाद और पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की है। जयशंकर ने कहा है कि भारत अफगानिस्तान में विकास और सहयोग का कार्य जारी रखेगा।

आरएसएस के शताब्दी समारोह पर उर्दू मीडिया की प्रतिक्रिया

अधिकांश उर्दू अखबारों ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी समारोह से संबंधित समाचारों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। उर्दू अखबारों ने इस संबंध में संपादकीय भी प्रकाशित किए हैं।

इंकलाब (2 अक्टूबर) के अनुसार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नई दिल्ली में आरएसएस के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 100 रुपये का एक विशेष स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया है। प्रधानमंत्री के साथ मंच पर आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी मौजूद थीं। समाचारपत्र के अनुसार इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 100 रुपये के इस सिक्के पर एक ओर राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह तो दूसरी ओर सिंह के साथ वरद मुद्रा में भारत माता की भव्य छवि अंकित है, जिन्हें स्वयंसेवकों द्वारा नमन किया जा रहा है। मोदी ने कहा कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में संभवत: यह पहली बार है, जब भारत माता की छवि भारतीय मुद्रा पर दिखाई दी है। जबकि डाक टिकट में आरएसएस के स्वयंसेवकों को 1963 के गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेते हुए दिखाया गया है।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आरएसएस ने सामाजिक समरसता को सदैव प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि विविधता में एकता भारत की आत्मा रही है। अगर इस सिद्धांत को तोड़ा गया तो भारत की शक्ति कम हो जाएगी। उन्होंने कहा कि आज राष्ट्र ऐसी चुनौतियों का सामना कर रहा है, जो प्रत्यक्ष रूप से उसकी एकता, संस्कृति और सुरक्षा को प्रभावित करती हैं। इनमें अलगाववादी विचारधारा, क्षेत्रवाद, जाति व भाषा का विवाद और बाहरी शक्तियों द्वारा भड़काई गई विभाजनकारी प्रवृत्तियां शामिल हैं। मोदी ने कहा कि आज देश का सामाजिक सद्भाव जनसांख्यिकीय बदलाव और घुसपैठ से गंभीर

चुनौती का सामना कर रहा है। इसका सीधा असर आंतरिक सुरक्षा और भविष्य की शांति पर पड़ रहा है। प्रधानमंत्री ने आरएसएस की स्थापना को विजयादशमी से भी जोड़ा। उन्होंने कहा कि विजयादशमी का महापर्व अन्याय पर न्याय, असत्य पर सत्य और अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है। उन्होंने संघ के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि संघ के शताब्दी वर्ष का साक्षी बनना वर्तमान पीढ़ी के स्वयंसेवकों के लिए सौभाग्य की बात है।

समाचारपत्र ने अपने संपादकीय में कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने आरएसएस की प्रशंसा करते हुए कहा है कि जिस प्रकार महान नदियां अपने तटों पर मानव सभ्यताओं का पोषण करती हैं, उसी प्रकार आरएसएस ने भी असंख्य लोगों को पोषित और समृद्ध किया है। जैसे एक नदी अपनी निकटस्थ भूमि, गांवों और क्षेत्रों को पल्लवित और पोषित करते हुए बहती है उसी तरह संघ ने भारतीय समाज के हर कार्यक्षेत्र और राष्ट्र के हर क्षेत्र को छुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के स्वतंत्रता संग्राम में आरएसएस की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है।

समाचारपत्र ने कहा है कि मोदी के संबोधन की कई बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन उसका कोई उदाहरण नहीं मिलता। प्रधानमंत्री मोदी ने आरएसएस की प्रशंसा की है। जबकि कांग्रेस ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के एक पत्र का हवाला देते हुए आरएसएस को अपना निशाना बनाया है। महात्मा गांधी की हत्या के कुछ महीने बाद 18 जुलाई 1948 को तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को एक पत्र लिखा था। इस पत्र में पटेल ने कहा था कि आरएसएस की गतिविधियां सरकार और देश के लिए खतरा हैं।

समाचारपत्र ने कहा है कि 2014 में मोदी के सत्ता में आने के बाद देश में मुसलमानों के खिलाफ जिस तरह से नफरत का माहौल बनाया गया, वह चिंताजनक है। इसके कारण भीड़ ने अनेक निर्दोषों को मौत के घाट उतार दिया। हालांकि, संघ प्रमुख मोहन भागवत ने इसके खिलाफ कई बयान तो दिए, लेकिन इस सिलसिले को रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। नफरत के इन कारोबारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके कारण उनके हौसले बढ़ गए और मुसलमानों के खिलाफ नफरत की भावना घर-घर तक पहुंच गई। भाजपा के कई प्रमुख नेताओं ने भी मुसलमानों के खिलाफ नफरत की हवा देने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। स्वयं प्रधानमंत्री मोदी ने नफरत के इस माहौल को रोकने के बजाय चुनावी फायदे के लिए इसे हवा दी।

समाचारपत्र ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। स्वयं उनके बयान और उनकी सरकार द्वारा मुसलमानों के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाइयां इसकी गवाही देती हैं। बरेली का ताजा मामला हमारे सामने है। 'आई लव मोहम्मद' के नाम पर मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। क्या 'आई लव मोहम्मद'

कहना उत्तेजनात्मक है? क्या इससे किसी को तकलीफ हो सकती है? फिर भी मुसलमानों को निशाना बनाने की वजह तलाशने के बजाय इसे नई परंपरा का नाम दे दिया गया। कई मुसलमानों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है।

समाचारपत्र ने संघ के वरिष्ठ नेता इंद्रेश कुमार का एक लेख प्रकाशित किया है। इस लेख में कहा गया है कि कई दशकों से संघ और मुसलमानों के बीच दूरी रही है। इतिहास हमें सिखाता है कि वार्ता ही वह पुल है जो नफरत की दीवारों को गिरा सकता है। इंद्रेश कुमार ने लिखा है कि 1986 में मैंने कश्मीर की भूमि पर इस पुल का निर्माण करने का प्रयास किया था। तब से यह प्रयास लगातार जारी है। यह एक सामाजिक आंदोलन का रूप धारण कर चुका है। मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में हिंदू और मुसलमान मिलकर न सिर्फ भ्रांतियों को दूर करेंगे, बल्कि एक ऐसे देश का निर्माण करेंगे, जिसका आधार देशभक्ति, समता और भाईचारा होगा। इंद्रेश कुमार ने दावा किया है कि वार्तालाप का यह सिलसिला नेतृत्व के स्तर पर तो सफल रहा है, लेकिन अब यह जरूरी हो गया है कि बातचीत का यह सिलसिला आम मुस्लिम घरों और मस्जिदों तक पहुंचे। वार्ता से समाधान अब सिर्फ एक अभियान नहीं, बल्कि यह एक सशक्त जनांदोलन बन चुका है।

कौमी भारत (2 अक्टूबर) के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आरएसएस ने प्रारंभ से ही बलिदान, निष्काम सेवा और राष्ट्र निर्माण का एक अद्वितीय उदाहरण पेश किया है। इस मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ने के लिए संघ के पास लाखों शाखाएं हैं। इन शाखाओं में स्वयंसेवक जाते हैं और राष्ट्र को मजबूत बनाने में अपनी भूमिका निभाते हैं। डॉ. हेडगेवार का उल्लेख करते हुए मोदी ने कहा कि "वे समझते थे कि राष्ट्र तभी वास्तविक रूप से सशक्त होगा जब प्रत्येक नागरिक अपने दायित्व के प्रति जागरूक होगा। भारत तभी उन्नति करेगा जब प्रत्येक नागरिक राष्ट्र के लिए जीना सीखेगा।" मोदी ने कहा कि संघ पर अनेक बार झूठे आरोप लगाए गए, लेकिन हमारे दिमाग में कोई कटुता नहीं है। हम उस समाज के हिस्से हैं, जो अच्छे और बुरे दोनों को स्वीकार करता है। संघ का एकमात्र लक्ष्य राष्ट्र सेवा और राष्ट्र प्रेम है।

कौमी भारत (5 अक्टूबर) ने अपने संपादकीय में कहा है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत समय-समय पर राष्ट्र को संबोधित करते रहते हैं। वे हमेशा हिंदुओं को संगठित होने पर जोर देते हैं। जबकि एक राष्ट्रवादी संगठन होने के नाते आरएसएस के लिए यह जरूरी है कि वह सभी देशवासियों को एकजुट करे और समाज में व्याप्त तनाव को दूर करने हेतु ठोस कदम उठाए। यह अलग बात है कि संघ ने अपनी बुनियादी विचारधारा के अतिरिक्त महात्मा गांधी की समाज व देश के प्रति सेवाओं का भी उल्लेख किया है। भारत जैसे बहुधार्मिक देश में जब सभी धर्मों के अनुयायियों के हितों और उनकी सुरक्षा को नजरअंदाज करके सिर्फ हिंदू समाज की ही बात

की जाएगी तो इसका साफ मतलब है कि आरएसएस या मोहन भागवत हिंदू समाज को बाकी धार्मिक समूहों के खिलाफ खड़ा करना चाहते हैं। उन्हें हिंदू समाज की तो चिंता है, लेकिन उनके दिल में मुस्लिम समाज के लिए कोई जगह नहीं है।

इंकलाब (3 अक्टूबर) ने अपने संपादकीय का शीर्षक दिया है, 'आरएसएस की कथनी और करनी में अंतर'। संपादकीय में कहा गया है कि भारत की नींव समता, स्वतंत्रता और भाईचारे के सिद्धांत पर रखी गई है। जब ये सिद्धांत सिर्फ कागजों तक ही सीमित रहें और इन्हें कार्यान्वित न किया जाए तो यह राष्ट्र की नींव को हिला देते हैं। आरएसएस का दावा है कि वह सामाजिक एकता, सांस्कृतिक उत्थान और जन सेवा का समर्थक है, लेकिन उसके काम से यह साबित होता है कि वह स्वयं इन सिद्धातों में विश्वास नहीं रखता। हाल ही में जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद देशभर में मुस्लिम विरोधी भावना भड़काई गई और मुसलमानों को निशाना बनाया गया। एक ओर तो, आरएसएस राष्ट्रवाद का प्रचार करता है। दूसरी ओर, मुसलमानों के साथ अन्याय और हिंसा की घटनाएं लगातार प्रकाश में आ रही हैं। बरेली में 'आई लव मोहम्मद' के पोस्टरों के सिलसिले में हुए विरोध प्रदर्शन ने हिंसा का रूप धारण कर लिया। हिंसा फैलाने के आरोप में 50 लोगों को गिरफ्तार किया गया। कई घरों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। अगर आरएसएस वास्तव में सामाजिक एकता और सांस्कृति उत्थान में विश्वास रखता है तो उसे मुस्लिम विरोधी घटनाओं की निंदा करनी चाहिए। सरकारों का यह कर्तव्य है कि वे इस तरह की हिंसा की घटनाओं की जांच करें और पीड़ितों को तुरंत न्याय दिलाएं। अगर सरकारें खामोश रहीं और इस स्थिति को सामान्य बनाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया तो संविधान के शासन और कानून के वर्चस्व को भारी नुकसान पहुंचेगा। इससे पूरे समाज में भय, असमानता और विभाजन का माहौल बनेगा, जो देश हित में नहीं है।

एतेमाद (5 अक्टूबर) ने अपने संपादकीय में कहा है कि यह अजीब इत्तेफाक है कि गांधी जयंती और आरएसएस के शताब्दी समारोह का आयोजन एक ही दिन किया जा रहा है। हालांकि, इन दोनों की विचारधारा एक दूसरे के बिल्कुल उलट है। संघ की विचारधारा के कारण ही गांधी की हत्या हुई थी। इससे साफ है कि आरएसएस ने एक मिशन के तहत वैचारिक मतभेदों को बरकरार रखा है और इसमें वह पूरी तरह से सफल हो रहा है। कुछ लोगों ने स्वतंत्रता की लड़ाई में राष्ट्रवाद को सिर्फ हिंदुओं तक ही सीमित कर दिया। पहले विनायक दामोदर सावरकर और बाद में हिंदू महासभा व आरएसएस ने हिंदू राष्ट्र का सिद्धांत पेश किया। इस सिद्धांत के तहत बहुसंख्यकों की विचारधारा को पूरे समाज पर लादा गया और अल्पसंख्यकों को हाशिए पर पहुंचा दिया गया।

समाचारपत्र ने कहा है कि महात्मा गांधी ने अहिंसा और समाज निर्माण का अभियान चलाया। इसके उलट कट्टरवादियों ने हिंदुत्व का ढांचा बनाया। समय के साथ-साथ यह नेटवर्क फैलता

चला गया। आरएसएस अपने संगठनों के जरिए धर्मनिरपेक्षता को कमजोर करके कट्टर हिंदुत्व की विचारधारा को प्रोत्साहन दे रहा है। अफसोस की बात है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस इसका सामना करने में असमर्थ नजर आ रही है। इसके कारण लोकतंत्र, अल्पसंख्यकों के अधिकार और विविधता में एकता की भावना खतरे में पड़ गई है। आज गांधीवाद खतरे में है। समाचारपत्र ने अपील की है कि क्या गांधी के सिद्धांतों की रक्षा के लिए कोई मैदान में आएगा?

मुंसिफ (3 अक्टूबर) ने अपने संपादकीय में आरोप लगाया है कि भाजपा और आरएसएस ऐसा इतिहास चाहते हैं, जो उनकी विचारधारा के अनुरूप हो। आरएसएस के शताब्दी समारोह के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम इसी दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है। यही कारण है कि जनता में मुस्लिम शासकों की भूमिका को बदनाम करने के लिए पाठ्यपुस्तकों में उन्हें आक्रांता और जालिम बताया जा रहा है। देश के स्वतंत्रता संग्राम में पलीता लगाकर गांधी, नेहरू और मौलाना आजाद जैसे लोगों को खलनायक के रूप में पेश किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने आरएसएस के शताब्दी समारोह में कहा कि स्वतंत्रता संग्राम में आरएसएस का महत्त्वपूर्ण योगदान है और उसके नेता इस दौरान जेल भी गए थे। उनका यह बयान सरासर झूठ और जनता की आंखों में धूल झोंकने के बराबर है। एक क्षण के लिए मोदी के इस दावे पर विश्वास भी कर लिया जाए तो सवाल उठता है कि जब गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी और 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो का अभियान चलाया था तो उसमें आरएसएस के किसी भी कार्यकर्ता ने भाग क्यों नहीं लिया? 1950 में जब भारतीय संविधान लागू हुआ तो आरएसएस ने इसका विरोध किया और उसने राष्ट्रीय ध्वज को मानने से इनकार कर दिया।

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (3 अक्टूबर) ने कहा है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत ने विजयादशमी के अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि हिंसा के जरिए किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। इसके लिए लोकतांत्रिक पद्धति अपनानी चाहिए। मोहन भागवत ने अपने 40 मिनट के संबोधन में सामाजिक क्रांति, पड़ोसी देशों में राजनीतिक अस्थिरता, अमेरिकी व्यापार नीति आदि अनेक विषयों पर मत व्यक्त किया। उन्होंने श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां की सरकारें हिंसा के कारण गिरी हैं और यही ताकतें भारत में भी सक्रिय हैं, इसलिए इन्हें रोकना बेहद जरूरी है।

हिंदुस्तान (3 अक्टूबर) ने अपने संपादकीय में आरोप लगाया है कि देश को मुस्लिम मुक्त करना भाजपा का सपना है। यही कारण है कि मुसलमान असम से लेकर कश्मीर और कन्याकुमारी तक सरकार और शासक दल के निशाने पर हैं। बहुसंख्यक समाज को उनके खिलाफ किसी न किसी बहाने भड़काया जा रहा है। हाल ही में 'आई लव मोहम्मद' की आड़ में देश के अनेक भागों में मुसलमानों को हिंसा का निशाना बनाया गया और बाद में उल्टा मुसलमानों को ही झूठे मुकदमों में फंसा दिया गया। जबकि दंगाइयों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। ■

मदरसों के बारे में उत्तराखंड सरकार का अहम फैसला

तासीर (8 अक्टूबर) के अनुसार उत्तराखंड में अब सरकार से अनुमति लेने के बाद ही मदरसे खोले जा सकेंगे। इसके साथ ही उत्तराखंड मदरसा बोर्ड को भंग कर दिया गया है। इसके स्थान पर एक नया कानून लागू किया गया है, जो सभी अल्पसंख्यक समुदायों जैसे- जैन, बौद्ध, पारसी, ईसाई और मुसलमानों पर लागू होगा। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेवानिवृत्त) ने विधानसभा से पारित उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक, 2025 को मंजूरी दे दी है। इस कानून के लागू होने से राज्य में संचालित सभी मदरसों को अब उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण से मान्यता और उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा बोर्ड से संबद्धता प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

इस नए कानून के अनुसार उत्तराखंड मदरसा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त मदरसे सिर्फ चालू शैक्षणिक सत्र तक ही धार्मिक शिक्षा दे सकेंगे। इसके बाद सभी मदरसों को सरकार से फिर से मान्यता लेनी होगी। नए कानून के तहत एक नया संगठन उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। इसकी मंजूरी के बिना कोई भी धार्मिक शिक्षण संस्थान नहीं खोला जाएगा। अल्पसंख्यक धार्मिक शिक्षण संस्थानों की मान्यता के लिए कुछ नियम तय किए गए हैं। पहला, जिस भूमि पर संबंधित शिक्षण संस्थान खोला जाएगा वह भूखंड संस्थान का प्रबंधन करने वाली सोसायटी के नाम पर होना चाहिए। दूसरा, वित्तीय लेन-देन संस्थान के नाम पर खोले गए बैंक खाते से होना चाहिए। तीसरा, अल्पसंख्यक संस्थानों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे अपने छात्रों या कर्मचारियों को धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए मजबूर नहीं करेंगे और न ही उन्हें धर्मांतरण के लिए प्रेरित करेंगे। चौथा, शिक्षकों की नियुक्ति मानकों के अनुसार होगी। अनियमितताओं के कारण या नियमों का उल्लंघन होने पर संस्थान की मान्यता निरस्त हो सकती है।

नए कानून के तहत प्रस्तावित उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण में एक मनोनीत अध्यक्ष और 11 सदस्य होंगे। अध्यक्ष अल्पसंख्यक समुदाय का शिक्षाविद् होगा, जिसके पास 15 साल या इससे अधिक का शिक्षण अनुभव जरूरी होगा। इसके अतिरिक्त उसके पास उच्च शिक्षण संस्थान में न्यूनतम पांच वर्ष का अनुभव होना चाहिए। राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किए जाने वाले 11 सदस्यों में से छह सदस्य अल्पसंख्यक समुदाय से होंगे। इसमें मुस्लिम,

सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन या पारसी समुदाय में से एक-एक सदस्य होगा। अन्य पांच सदस्यों में एक राज्य का सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी होगा, जो सचिव या समकक्ष पद से सेवानिवृत्त हो। दूसरा, विद्यालयी शिक्षा के क्षेत्र में 10 वर्ष या इससे अधिक का अनुभव रखने वाला सामाजिक कार्यकर्ता, तीसरा, महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा, चौथा, एससीईआरटी का निदेशक और पांचवां निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण होगा।

सियासत (9 अक्टूबर) के अनुसार कांग्रेस ने उत्तराखंड अल्पसंख्यक विधेयक, 2025 को असंवैधानिक बताया है। उसने राज्य की भाजपा सरकार पर आरोप लगाया है कि वह इस कानून को धार्मिक ध्रुवीकरण के एजेंडे के तहत लाई है और उसे अल्पसंख्यकों की शिक्षा में कोई रुचि नहीं है। उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा है कि यह कानून भारतीय संविधान की धारा 25 और 26 के विरुद्ध है और इसे अदालत में चुनौती दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पहले से ही अल्पसंख्यक संस्थान राज्य के शिक्षा विभाग से एनओसी लेते हैं और उन पर सोसायटी पंजीकरण कानून लागू होता है। उन्हें यह अधिकार है कि वे जिस बोर्ड से चाहे अपने संस्थान को संबद्ध कर लें। राज्य के कई शिक्षण संस्थान और ईसाई मिशनरी स्कूल सीबीएसई, आईसीएसई या अंतरराष्ट्रीय बोर्डों से संबंधित हैं। राज्य सरकार को यह अधिकार नहीं है कि वह किसी भी संस्थान को सरकारी प्राधिकरण से संबद्ध होने के लिए मजबूर करे। दूसरी ओर, उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने इस नए कानून का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि इससे मुस्लिम बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सकेगी और वे केंद्रीय धारा में शामिल हो सकेंगे।

गौरतलब है कि उत्तराखंड मदरसा बोर्ड को जुलाई 2026 में भंग कर दिया जाएगा। फिलहाल इस बोर्ड में 13 सदस्य है। इनमें से नौ मुसलमान हैं। अब अल्पसंख्यक संस्थानों के लिए पाठ्यक्रम उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण तैयार करेगा। इसकी जांच उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद करेगी।

अवधनामा (16 अक्टूबर) के अनुसार एक दर्जन से अधिक याचिकाकर्ताओं ने उत्तराखंड में लागू समान नागरिक संहिता को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। उच्च न्यायालय ने इन याचिकाओं पर सुनवाई के लिए 10 नवंबर की तिथि निर्धारित की है। उत्तराखंड में लागू समान नागरिक संहिता कानून में विवाहों के पंजीकरण की पद्धति को कड़ा कर दिया गया है। अगर कोई जोड़ा प्रेम विवाह के लिए रजिस्ट्रार के समक्ष याचिका दायर करता है और रजिस्ट्रार यह फैसला लेता है कि यह विवाह रीति-रिवाज के अनुसार नहीं है तो वह इस विवाह के पंजीकरण को रद्द कर सकता है। इसके अतिरिक्त लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़ों को भी रजिस्ट्रार से मान्यता प्राप्त करनी होगी। जमीयत उलेमा के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी राज्य सरकार को अपने राज्य में समान नागरिक संहिता को लागू करने की अनुमति नहीं है।

घुसपैठियों के कारण मुस्लिम जनसंख्या में भारी वृद्धि

इंकलाब (11 अक्टूबर) के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आरोप लगाया है कि देश के कुछ भागों में अवैध विदेशी घुसपैठ के कारण मुसलमानों की आबादी में बेतहाशा वृद्धि हुई है। दैनिक जागरण द्वारा आयोजित नरेन्द्र मोहन स्मृति व्याख्यान एवं साहित्य सृजन सम्मान के अवसर पर शाह ने कहा कि अवैध विदेशी घुसपैठ देश की भाषा, संस्कृति और लोकतंत्र के लिए भारी खतरा

है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिंदुओं ने अपने धर्म की रक्षा के लिए भारत का रुख किया था, इसलिए वे शरणार्थी हैं। उन्हें घुसपैठिया नहीं कहा जा सकता, क्योंकि भारत ने नेहरू-लियाकत समझौते के तहत हिंदुओं को कभी भी भारत में आने और उन्हें नागरिकता प्रदान करने का आश्वासन दिया था। वहीं, जो मुसलमान आर्थिक या अन्य कारणों से पाकिस्तान और बांग्लादेश से भारत आए हैं, वे शरणार्थी नहीं, बल्कि घुसपैठिए हैं। वे धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत नहीं आए हैं। गृह मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार 'थ्री डी फॉर्मूले' के तहत उनका पता लगाएगी और उन्हें देश से निष्कासित किया जाएगा।

अमित शाह ने कहा कि 1951 में देश में मुसलमानों की जनसंख्या 9.8 प्रतिशत थी, जो 1971 में बढ़कर 11 प्रतिशत हो गई। 1991 में मुसलमानों की जनसंख्या 12.21 प्रतिशत हो गई। 2011 में उनकी जनसंख्या बढ़कर 14.2 प्रतिशत हो गई। उन्होंने कहा कि 2001 से 2011 के बीच मुस्लिम जनसंख्या की वृद्धि दर 24.6 प्रतिशत रही। जबकि हिंदुओं की जनसंख्या में 4.5 प्रतिशत की गिरावट आई है। मुसलमानों की जनसंख्या में वृद्धि विदेशी घुसपैठ के कारण हुई है। शाह ने कहा कि धार्मिक उत्पीड़न के कारण जो लोग पड़ोसी देशों से भागकर भारत आए थे उन्हें देश की नागरिकता प्रदान करने के लिए नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) लाया गया है। यह कानून ऐतिहासिक गलती को सुधारने के लिए लाया गया है। इन शरणार्थियों में सिर्फ हिंदू ही नहीं, बल्कि बौद्ध, सिख और ईसाई भी शामिल हैं।

गृह मंत्री ने विपक्ष द्वारा एसआईआर का विरोध करने की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि यह चुनाव आयोग का कर्तव्य है कि वह मतदाता सूची को त्रुटि मुक्त करे। उन्होंने विपक्षी दलों पर आरोप लगाया कि वे चुनाव में मुसलमानों का वोट बटोरने के लिए इस तरह का विवाद खड़ा करते हैं। इन दलों द्वारा घुसपैठियों को इसलिए संरक्षण दिया जाता है, क्योंकि वे इन्हें चुनावों में वोट देते हैं।

इंकलाब (13 अक्टूबर) के अनुसार कांग्रेस ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर आरोप लगाया है कि वे वोटों के ध्रुवीकरण के लिए मुसलमानों की जनसंख्या में वृद्धि के मामले को उछाल रहे

हैं। वे चुनाव से पहले देश में सांप्रदायिक नफरत की ज्वाला भड़का रहे हैं। कांग्रेस ने सवाल किया है कि अगर अमित शाह का दावा सच है तो वे पिछले 11 सालों से क्या कर रहे हैं, क्योंकि देश की सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेवारी गृह मंत्रालय की है।

एक अन्य समाचार के अनुसार ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने अमित शाह के बयान की आलोचना करते हुए कहा है कि गृह मंत्री देशवासियों को गुमराह करने के लिए झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि अमित शाह का गणित कमजोर है। ओवैसी ने कहा कि 1951 से 2011 तक मुस्लिम जनसंख्या में सिर्फ 4.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

इंकलाब (16 अक्टूबर) के अनुसार जमीयत उलेमा के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा है कि अमित शाह झूठ बोलकर देशवासियों को गुमराह कर रहे हैं। वे जानबूझकर हिंदुओं और मुसलमानों के बीच नफरत की ज्वाला भड़का रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश की जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई है, इसलिए मुसलमानों की भी जनसंख्या बढ़ी है। इसके लिए घुसपैठियों को दोषी करार देना सरासर बेईमानी है। वे यह झूठ चुनाव जीतने के लिए बोल रहे हैं। मदनी ने कहा कि अमित शाह इस देश के मुसलमानों को घुसपैठिया करार देकर उन्हें देश से निष्कासित करना चाहते हैं।

उर्दू टाइम्स (12 अक्टूबर) ने अमित शाह के बयान की आलोचना करते हुए कहा है कि असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने मुसलमानों को घुसपैठिया करार देकर उन्हें इस देश से निष्कासित करने की जो योजना बनाई थी अब इस अभियान में अमित शाह भी शामिल हो गए हैं। समाचारपत्र ने कहा है कि भाजपा देश में अशांति फैलाना चाहती है और वह जानबूझकर आग से खेल रही है। इस तरह का दुष्प्रचार देश की अखंडता और शांति के लिए खतरनाक है।

जम्मू–कश्मीर में अलगाववादी संगठनों के खिलाफ अभियान

तासीर (2 अक्टूबर) के अनुसार जम्मू-कश्मीर पुलिस ने प्रतिबंधित अलगाववादी संगठन तहरीक-ए-हुर्रियत के बडगाम जिले के हैदरपोरा स्थित मुख्यालय को सील कर दिया है। श्रीनगर पुलिस ने यूएपीए की धारा 25 के तहत तहरीक-ए-हुर्रियत की हैदरपोरा स्थित संपत्ति को कुर्क कर लिया है। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि यह भवन तीन मंजिला है। इस भवन को

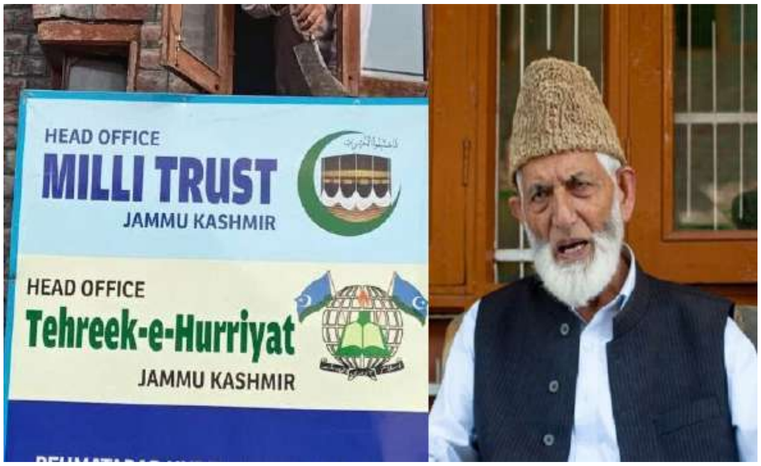

तहरीक-ए-हुर्रियत के मुख्यालय के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था। पुलिस ने इस संगठन से संबंधित दो दर्जन से अधिक लोगों को भी गिरफ्तार किया है। बता दें कि 2004 में अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी ने तहरीक-ए-हुर्रियत की स्थापना की थी। दिसंबर 2023 में केंद्र सरकार ने इस संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया था।

एक अन्य समाचार के अनुसार सोपोर में प्रतिबंधित संगठन जमात-ए-इस्लामी से जुड़े दो दर्जन कार्यकर्ताओं के आवास पर छापे मारे गए। इस संबंध में कई लोगों को हिरासत में लिया गया है और उनसे काफी मात्रा में आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद हुई है। जिन अलगाववादियों को गिरफ्तार किया गया है उनमें मोहम्मद मकबूल भट और तनवीर अहमद डार शामिल हैं।

चट्टान (2 अक्टूबर) के अनुसार श्रीनगर में हुए पुलिस शहीद फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल मैच के दौरान राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े न होने के आरोप में 15 लोगों को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस उच्चाधिकारियों के अनुसार गिरफ्तार किए गए लोगों में से कुछ का संबंध आतंकवादी गुटों से पाया गया है। इस संबंध में उच्चस्तरीय जांच की जा रही है। पुलिस प्रवक्ता ने कहा कि इन लोगों से मिली जानकारी के अनुसार कश्मीर में कई स्थानों पर छापे भी मारे गए हैं और कुछ अन्य लोगों को भी हिरासत में लिया गया है।

इंकलाब (14 अक्टूबर) के अनुसार जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने जम्मू-कश्मीर सरकार के गृह विभाग को नोटिस जारी किया है और राज्य में 25 पुस्तकों पर प्रतिबंध लगाने के बारे में उससे सफाई मांगी है। गौरतलब है कि चार याचिकाकर्ताओं ने इन पुस्तकों पर प्रतिबंध लगाने को संविधान की भावना के खिलाफ बताया था और सरकार के इस आदेश को निरस्त करने की मांग की थी। उच्च न्यायालय ने इसी मुद्दे पर दायर एक जनहित याचिका पर नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि इससे जनहित का कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि 90 प्रतिशत लोग इस मुद्दे को समझ भी नहीं पाएंगे।

गौरतलब है कि 5 अगस्त 2025 को जम्मू-कश्मीर सरकार के गृह विभाग ने हिंसा और अलगाववाद फैलाने के आरोप में 25 पुस्तकों पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके साथ ही इन पुस्तकों को जब्त करने का भी आदेश दिया गया था। इसके बाद पुलिस ने राज्य के विभिन्न पुस्तक विक्रेताओं के दुकानों पर छापे मारकर इन प्रतिबंधित पुस्तकों को जब्त कर लिया था। उल्लेखनीय है कि जिन लेखकों की पुस्तकों पर प्रतिबंध लगाया गया है उनमें अरुंधति रॉय, ए.जी. नूरानी, हफसा कंजवाल और अनुराधा भसीन आदि शामिल हैं।

पाकिस्तान और अफगानिस्तान में युद्धविराम

चट्टान (16 अक्टूबर) के अनुसार कई दिनों की खूनी झड़पों के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच 48 घंटों का अस्थाई युद्धविराम हो गया है। पाकिस्तानी गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि युद्धविराम का लक्ष्य बातचीत के जरिए विवाद का सकारात्मक और स्थायी समाधान निकालना है। इससे पहले अफगान तालिबान ने बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के सीमावर्ती क्षेत्रों में हमले किए थे। पाकिस्तानी सेना ने भी जवाबी कार्रवाई की थी। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार का आरोप है कि पाकिस्तानी सेना ने अफगानिस्तान की वायु सीमा का अतिक्रमण करके राजधानी काबुल समेत छह स्थानों पर बमबारी की। इस हमले में कई लोग मारे गए। सबसे रोचक बात यह है कि दोनों पक्षों का दावा है कि दूसरे पक्ष के अनुरोध पर यह युद्धविराम हुआ है।

स्पिन बोल्डक जिले के सूचना अधिकारी अली मोहम्मद हकमल ने बताया कि स्पिन बोल्डक में दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़पें हुईं। इन झड़पों में अफगानिस्तान के 15 नागरिक मारे गए। इसके अतिरिक्त लगभग 100 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पाकिस्तान के सैन्य प्रवक्ता ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए इस बात की पुष्टि या खंडन करने से इनकार कर दिया कि पाकिस्तानी सेना ने अफगानिस्तान में घुसकर हमला किया था। प्रवक्ता ने कहा कि पाकिस्तानी सेना देश की सुरक्षा के लिए जरूरी कार्रवाई करती रहेगी।

पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार पाकिस्तान और अफगान तालिबान के बीच हुई झड़प में 200 से अधिक तालिबान लड़ाके मारे गए। जबकि इस हमले में 23 पाकिस्तानी सैनिक भी मारे गए। यह घटना खैबर पख्तूनख्वा के जिला कुर्रम में हुई। पाकिस्तानी सेना ने तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) के एक प्रशिक्षण शिविर को भी तबाह कर दिया। पाकिस्तानी प्रवक्ता ने पुष्टि की कि सीमावर्ती क्षेत्रों में इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं बंद कर दी गई हैं। अफगान सरकार ने दावा किया है कि उसने 58 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया

है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सऊदी अरब और कतर के हस्तक्षेप के बाद दोनों देशों के बीच युद्धविराम हुआ है। दोनों देशों की सेना हाई अलर्ट पर हैं और सभी सीमाएं बंद कर दी गई हैं।

गौरतलब है कि दोनों देशों के बीच 2611 किलोमीटर लंबी सीमा है, जिसे डूरंड रेखा कहा जाता है। अफगानिस्तान सरकार डूरंड रेखा को सीमा नहीं मानती है। उसका दावा है कि अंग्रेजों ने मनमाने ढंग से डूरंड रेखा की घोषणा की थी।

एतेमाद (17 अक्टूबर) के अनुसार पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि तालिबान भारत के इशारे पर नाच रहे हैं। इसे देखते हुए ऐसा लगता है कि दोनों देशों के बीच युद्धविराम ज्यादा समय तक बरकरार नहीं रह पाएगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान किसी भी हमले का जवाब देने की क्षमता रखता है, लेकिन हम विवाद को बातचीत के जरिए हल करना चाहते हैं। अगर बातचीत सफल नहीं होती तो हम दूसरा विकल्प खोजेंगे। पाकिस्तानी मंत्रिमंडल की आपातकालीन बैठक में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हुई झड़पों पर विचार किया गया। इस बैठक में घोषणा की गई कि पाकिस्तानी जनता किसी भी सैन्य कार्रवाई का समर्थन करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस बैठक में पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करने और पाकिस्तान की सुरक्षा के लिए उठाए गए सैन्य कदमों का समर्थन किया गया।

दूसरी ओर, भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि अपनी आंतरिक विफलताओं के लिए पड़ोसी देशों को दोषी ठहराना पाकिस्तान की पुरानी आदत है। उन्होंने कहा कि सभी जानते हैं कि पाकिस्तान हमेशा से आतंकवाद का पोषक रहा है। जायसवाल ने जोर देते हुए कहा कि भारत अफगानिस्तान की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और स्वतंत्रता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान और अफगानिस्तान के घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं।

सियासत (13 अक्टूबर) के अनुसार पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर तनावपूर्ण स्थिति है। दोनों ओर से बमबारी जारी है। अफगानिस्तान के हेलमंद प्रांत में पाकिस्तानी हवाई हमलों के बाद तालिबान सेना ने जवाबी कार्रवाई की। तालिबान सेना की जवाबी कार्रवाई में 15 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। जबकि तालिबान सरकार के एक प्रवक्ता ने दावा किया कि इस हमले में 50 से अधिक पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। विदेशी मीडिया के अनुसार इस हमले में दोनों देशों के लगभग 100 सैनिक मारे गए हैं। पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार अफगान सुरक्षा बलों ने सीमावर्ती क्षेत्रों में छह स्थानों पर गोलीबारी की। पाकिस्तानी सेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए कई अफगान चौकियों को निशाना बनाया। इस हमले में कई अफगान सैनिक मारे गए।

उर्दू टाइम्स (13 अक्टूबर) के अनुसार पाकिस्तान ने पांच महत्त्वपूर्ण रास्तों को बंद कर दिया है। ये रास्ते पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ते हैं। इनमें तोरखम, चमन, खारलाची, अंगूर अड्डा और गुलाम खान शामिल हैं। सीमा बंद होने के कारण अफगानिस्तान का पूरा व्यापार

ठप हो गया है। बता दें कि अफगानिस्तान का पूरा व्यापार पाकिस्तान के रास्ते ही होता है।

हिंदुस्तान (14 अक्टूबर) के अनुसार अफगान टेलीविजन चैनल 'टोलो न्यूज' ने दावा किया है कि अफगान सुरक्षा बलों ने हेलमंद के सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित पाकिस्तानी सैन्य चौकियों पर हमला किया। इस हमले में भारी संख्या में पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। अफगान सेना का दावा है कि उसने पाकिस्तान की 25 चौकियों पर कब्जा कर लिया है। पाकिस्तानी मीडिया ने दावा किया था कि पाकिस्तान ने हवाई हमले के दौरान काबुल में टीटीपी के प्रमुख नूर वली महसूद को अपना निशाना बनाया था। जबकि महसूद ने एक वीडियो जारी करके इसका खंडन किया है। उसने कहा कि वह पाकिस्तानी क्षेत्र में स्थित अपने कैंप में रह रहा है और पूरी तरह सुरक्षित है।

रोजनामा सहारा (12 अक्टूबर) के अनुसार तालिबान सरकार के मुख्य प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने दावा किया है कि अफगान सेना की कार्रवाई में 58 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं और 30 घायल हुए हैं। इस कार्रवाई में 20 अफगान सैनिकों के भी मारे जाने की सूचना है। उन्होंने कहा कि अफगान सेना ने खैबर पख्तूनख्वा के अंगूर अड्डा, बाजौर, कुर्रम, दीर, चित्राल और बारामचा में पाकिस्तानी सीमावर्ती चौकियों को अपना निशाना बनाया है।

हिंदुस्तान (12 अक्टूबर) के अनुसार अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई ने काबुल और पक्तिका में पाकिस्तानी सेना के हवाई हमलों की निंदा की है। उन्होंने इसे अंतरराष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन बताया है।

मुंसिफ (13 अक्टूबर) के अनुसार अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ विवादों का शांतिपूर्ण समाधान चाहता है। अगर शांति के हमारे प्रयास सफल नहीं होते तो हमारे लिए दूसरे रास्ते भी खुले हुए हैं। उन्होंने कहा कि हमें पाकिस्तानी जनता से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन वहां के नेता और सैनिक स्थिति को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। मुत्ताकी ने कहा कि अफगानिस्तान अपनी क्षेत्रीय अखंडता और वायु सीमा की रक्षा करेगा। अगर किसी ने उसका उल्ल्ंघन किया तो उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान कभी किसी का गुलाम नहीं रहा है। जब रूस और अमेरिका जैसे देश हम पर कब्जा नहीं कर पाए तो पाकिस्तान की क्या औकात है? उन्होंने कहा कि हमारे मित्र देशों सऊदी अरब और कतर ने हमसे अनुरोध किया था कि हम अपनी सैन्य कार्रवाई बंद कर दें, इसलिए हमने अपनी कार्रवाई रोक दी है।

एतेमाद (16 अक्टूबर) ने अपने संपादकीय में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बढ़ते हुए तनाव पर चिंता प्रकट की है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। झड़पों की शुरुआत तब हुई जब अफगान तालिबान ने दावा किया कि पाकिस्तानी वायुसेना उसकी वायु सीमा का उल्लंघन करके उसके क्षेत्रों पर बमबारी कर रही है। हालांकि, पाकिस्तान ने इस दावे का आधिकारिक तौर पर खंडन नहीं किया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अगर अफगानिस्तान की भूमि का इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ होगा तो हम सैन्य कार्रवाई करने का अधिकार रखते हैं।

हालांकि, दोनों देशों के बीच अस्थाई युद्धविराम हो गया है, लेकिन जिस तरह के हालात हो गए हैं उससे दोनों देशों के बीच युद्ध भड़कने की पूरी संभावना है। समाचारपत्र ने कहा है कि पाकिस्तानी सेना के खिलाफ बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की जनता में भारी नाराजगी है। यही कारण है कि पाकिस्तानी सेना आतंकवाद पर लगाम लगाने में अब तक सफल नहीं हो सकी है।

बांग्लादेश द्वारा चीन से लड़ाकू विमानों की खरीद

इंकलाब (10 अक्टूबर) के अनुसार बांग्लादेश सरकार ने अपनी वायुसेना को आधुनिक बनाने और देश की रक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए चीन से 20 जे-10सीई लड़ाकू विमान खरीदने का फैसला किया है। बांग्लादेशी मीडिया के अनुसार इन लड़ाकू विमानों की कीमत दो अरब 20 करोड़ अमेरिकी डॉलर है। इस समझौते में विमानों की खरीद, चालकों का प्रशिक्षण और विमानों के अतिरिक्त पुर्जे भी शामिल हैं। चीन इस साल से बांग्लादेश को इन विमानों की सप्लाई शुरू करेगा। इस रकम का भुगतान अगले 10 सालों में आसान किस्तों में किया जाएगा। चीनी अखबार 'ग्लोबल टाइम्स' के अनुसार जे-10सीई चौथी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है, जो हवा से हवा और हवा से जमीन और समुद्री मिशन तीनों में सक्षम है।

उर्दू टाइम्स (9 अक्टूबर) के अनुसार बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (आईसीटी) ने बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना, उनके पूर्व रक्षा सलाहकार मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) तारिक अहमद सिद्दीकी और पूर्व पुलिस महानिरीक्षक बेनजीर अहमद समेत 11 लोगों के खिलाफ गिफ्तारी वारंट जारी किया है। इन लोगों पर आरोप है कि अवामी लीग के कार्यकाल में सरकार विरोधी दर्जनों लोगों को जबरन हिरासत में लेकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया।

इसके अतिरिक्त एक अन्य मुकदमे में रामपुरा में हुए प्रदर्शनों के सिलसिले में 22 लोगों की हत्या करने के आरोप में बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड के अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल रिजवान अहमद और तीन अन्य अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई है। बता दें कि बांग्लादेश सरकार ने शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब अवामी लीग चुनाव में भाग नहीं ले सकती।

पाकिस्तान में हिंसक घटनाओं में भारी वृद्धि

हिंदुस्तान (12 अक्टूबर) के अनुसार इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान (टीएलपी) ने इस्लामाबाद में उग्र प्रदर्शन किया। इस उग्र प्रदर्शन को देखते हुए सरकार ने अनिश्चितकालीन कर्फ्यू की घोषणा कर दी और इंटरनेट सेवाओं को निलंबित कर दिया। सेना ने

पर गोलियां चलाईं। सरकारी सूत्रों के अनुसार इस गोलीबारी में 15 लोग मारे गए। जबकि टीएलपी ने दावा किया है कि इस सैन्य कार्रवाई में उसके 120 कार्यकर्ता मारे गए हैं और सेना ने पेट्रोल डालकर उनके शवों को जला दिया है। इस्लामाबाद में पुलिस ने एक हजार से अधिक प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। रावलपिंडी के समीप प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़पें हुईं। सरकारी सूचना के अनुसार पुलिस की गोली से सात लोग मारे गए। प्रदर्शनकारियों के साथ झड़प में कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं।

इस्लामाबाद जाने वाले सभी रास्तों पर कंटेनर लगाकर उन्हें बंद कर दिया। इसके अतिरिक्त सड़कों पर गड्ढ़े खोदे गए ताकि उस रास्ते से कोई वाहन न गुजर सके। सरकार ने देशभर में वाहनों की आवाजाही और ट्रेन सेवा बंद कर दी। पाकिस्तानी अखबार 'डॉन' के अनुसार टीएलपी ने मार्च की शुरुआत लाहौर में मुल्तान रोड़ पर स्थित पार्टी के मुख्यालय से की। इसका नाम 'गाजा मार्च' दिया गया, क्योंकि टीएलपी ने फिलिस्तीनियों के समर्थन में और इजरायल के विरोध में मार्च निकाला है। टीएलपी प्रमुख साद हुसैन रिजवी के नेतृत्व में हजारों लोग इस जुलूस में शामिल हुए। प्रदर्शनकारी धार्मिक नारे लगा रहे थे और उनके हाथों में लाठी, झंडे और ईंटें थीं।

पुलिस ने यतीम खाना चौक चौबुर्जी, आजादी चौक और शाहदरा सहित प्रमुख चौराहों पर बैरिकेड लगाकर व आंसू गैस का इस्तेमाल करके प्रदर्शनकारियों को रोकने का प्रयास किया। पुलिस ने सैकड़ों प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। इसके बावजूद तमाम रुकावटों को तोड़कर वे अन्य रास्तों से इस्लामाबाद की ओर बढ़ते रहे। इस पर सेना ने मुरीदके के समीप जीटी रोड़ पर प्रदर्शनकारियों को रोकने का प्रयास किया। जब उसके ये प्रयास विफल रहे तो उसने प्रदर्शनकारियों

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पुलिस ने टीएलपी के 150 से अधिक नेताओं को गिरफ्तार कर लिया है। उनके खिलाफ लाहौर के आतंकवाद निरोधक न्यायालय में आतंकवाद और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में मुकदमे चलाए जा रहे हैं। पाकिस्तान के गृह राज्य मंत्री तलाल चौधरी ने आरोप लगाया है कि इन प्रदर्शनों के पीछे विदेशी हाथ है। उन्होंने कहा कि कुछ नेता भ्रष्टाचार के आरोपों से बचने के लिए देश में अशांति फैला रहे हैं। इसे सहन नहीं किया जाएगा और सेना इस तरह की हरकतों को सख्ती से दबा देगी।

एक अन्य समाचार के अनुसार खैबर पख्तूनख्वा के डेरा इस्माइल खान स्थित पुलिस प्रशिक्षण केंद्र पर आतंकवादी हमले में कम-से-कम सात पुलिसकर्मी मारे गए। जबकि पुलिस ने छह आतंकवादियों को गोली से उड़ा दिया। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस हमले के पीछे अफगानिस्तान से संचालित आतंकवादियों का हाथ था। पुलिस और आतंकवादियों के बीच पूरी रात मुकाबला जारी

रहा। अंत में सभी आतंकवादी मारे गए। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने इस हमले की निंदा की है और मृतक पुलिसकर्मियों के प्रति संवेदना प्रकट की है।

अवधनामा (15 अक्टूबर) के अनुसार बलूचिस्तान के जेहरी इलाके में पाकिस्तानी हवाई हमले में छह बलूच नागरिक मारे गए और तीन गंभीर रूप से घायल हो गए। मरने वालों में बच्चे भी शामिल हैं। कई बलूच संगठनों ने इस हमले की निंदा की है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी सेना स्थानीय नागरिकों के असंतोष को दबाने के लिए उनके घरों पर हमला कर रही है।

सियासत (5 अक्टूबर) के अनुसार सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्ट्डीज की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पाकिस्तान में पिछले तीन महीने में हिंसा की घटनाओं में 46 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वहां पर हिंसा के कारण प्रतिदिन 10 लोग मारे जा रहे हैं। इस संगठन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में स्थिति दिन-प्रतिदिन विस्फोटक हो रही है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में जम्मू-कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का आंदोलन जारी है। वहां पर पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की गोली से 21 नागरिकों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। जबकि प्रदर्शनकारियों ने सात पाकिस्तानी पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी है।

चट्टान (8 अक्टूबर) के अनुसार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल असीम मलिक के कार्यकाल में एक वर्ष की बढ़ोतरी की गई है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्रालय की एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार मलिक ने 30 सितंबर 2024 को आईएसआई के प्रमुख का कार्यभार संभाला था। असीम मलिक साल 1989 में पाकिस्तानी सेना में शामिल हुए थे। उनका संबंध पाकिस्तानी सेना की बलूच रेजिमेंट से है। उन्हें छह अक्टूबर 2021 को लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर पदोन्नत किया गया था।

ब्रिटेन में यहूदी उपासना स्थल पर आतंकी हमला

इंकलाब (4 अक्टूबर) के अनुसार ब्रिटेन के मैनचेस्टर में यहूदी उपासना स्थल पर हुए आतंकवादी हमले में कम-से-कम चार लोग मारे गए। यह हमला तब किया गया जब यहूदी समुदाय के लोग अपने उपासना स्थल में 'योम किप्पूर' पर्व मना रहे थे। मरने वालों में एक महिला और तीन पुरुष शामिल हैं। पुलिस ने घटनास्थल पर ही हमलावर को गोली मार दी। समाचारपत्र के अनुसार मरने वाले हमलावर की पहचान 35 वर्षीय जिहाद अल-शमी के रूप में हुई है। वह एक ब्रिटिश नागरिक था। शमी अपने बचपन में ही सीरिया से ब्रिटेन आया था और 2006 में उसे ब्रिटिश नागरिकता मिली थी।

चट्टान (5 अक्टूबर) के अनुसार जिहाद अल-शमी ने यहूदी उपासना स्थल में लोगों पर कार चढ़ा दी। इसके बाद उसने धारदार हथियार से लोगों पर हमला किया। ब्रिटिश पुलिस ने इसे आतंकवादी घटना करार दिया है। पुलिस का दावा

है कि इस व्यक्ति की सहानुभूति फिलिस्तीनियों के साथ थी। हाल ही में वह हमास के संपर्क में आया था। उसने 2023 में हमास के इजरायल पर हमले का समर्थन किया था। पुलिस ने अल-शमी के आवास पर छापा मारकर उसके कुछ परिजनों को हिरासत में लिया है। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है।

ब्रिटिश अखबार **'द गार्डियन'** ने लिखा है कि ब्रिटेन के दो दर्जन यहूदी परिवारों ने उनके कार्यालय को टेलीफोन करके बताया है कि वे ब्रिटेन में स्वंय को सुरक्षित महसूस नहीं करते, इसलिए वे ब्रिटेन छोड़कर इजरायल जाने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने इस संबंध में इजरायली दूतावास से संपर्क भी किया है।

इटली में बुर्का और नकाब पर प्रतिबंध

सहाफत (10 अक्टूबर) के अनुसार इटली की संसद ने एक कानून पारित किया है। इस कानून के अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का पहनने और चेहरे पर नकाब लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सत्तारूढ़ पार्टी 'ब्रदर्स ऑफ इटली' ने इस विधेयक को संसद में पेश किया है। इस विधेयक के अनुसार स्कूलों, विश्वविद्यालयों, कार्यालयों, दुकानों, पार्कों और सड़कों पर बुर्का पहनने या नकाब ओढ़कर चेहरे को ढकने पर कानूनन प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसका उल्लंघन करने वाले पर 300 से लेकर 3000 यूरो जुर्माना लगाया जाएगा। इस विधेयक में यह भी कहा गया है कि इटली सरकार ने जिन संस्थानों या धर्मों को मान्यता नहीं दी है उनकी गतिविधियों पर खुफिया विभाग की कड़ी निगरानी रहेगी।

गौरतलब है कि इटली सरकार ने 13 धर्मों को मान्यता दे रखी है। इस्लाम इनमें शामिल नहीं है। हालांकि, राज्य सरकारों ने 2015 से ही इटली के कुछ क्षेत्रों में नकाब ओढ़ने पर प्रतिबंध लगा रखा है, लेकिन अब इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया है। इस कानून में यह भी प्रावधान है कि गुप्तचर विभाग व पुलिस मस्जिदों और मदरसों पर कड़ी निगरानी रखेगी ताकि उनमें कोई आतंकवादी गतिविधि न पनप सके।

हमास और इजरायल के बीच युद्धविराम समझौते पर हस्ताक्षर

सहाफत (10 अक्टूबर) के अनुसार मिस्र की राजधानी काहिरा में इजरायल और हमास के बीच युद्धविराम के प्रथम चरण पर हस्ताक्षर हुए हैं। इसमें बंधकों और कैदियों की रिहाई भी शामिल है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने की घोषणा करते हुए कहा कि अरब देशों, मुस्लिम जगत, इजरायल और अमेरिका के लिए यह एक महत्त्वपूर्ण दिन हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस समझौते को साकार कराने में कतर, मिस्र और तुर्की का आभार प्रकट किया है। उन्होंने कहा कि सभी बंधकों और कैदियों को रिहा कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त इजरायल गाजा में युद्ध बंद कर देगा और वहां से अपने सैनिकों को वापस बुला लेगा। कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने भी इस समझौते की पुष्टि करते हुए कहा है कि अब गाजा के पीड़ितों को सहायता सामग्री मिलनी शुरू हो जाएगी। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस युद्धविराम के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति को धन्यवाद दिया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी गाजा में युद्धविराम और शांति समझौते का स्वागत किया है।

इंकलाब (15 अक्टूबर) के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने शर्म अल-शेख शिखर सम्मेलन में गाजा में युद्धविराम की घोषणा करते हुए कहा कि अब पश्चिम एशिया में शांति स्थापित हो गई है। इजरायल और हमास के बीच युद्धविराम को सुनिश्चित बनाने के लिए मिस्र, तुर्की और कतर के नेताओं के साथ एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करते हुए ट्रम्प ने कहा कि हम सबने मिलकर वह हासिल कर लिया है, जिसे सब लोग असंभव कहते थे। गाजा में युद्ध समाप्त हो चुका है और वहां पर सहायता पहुंचनी शुरू हो गई है। गौरतलब है कि मिस्र के शहर शर्म अल-शेख में आयोजित इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस समेत 20 देशों के नेताओं ने भाग लिया। ट्रम्प ने कहा कि यह कहा जाता था कि पश्चिम एशिया में तीसरा विश्वयुद्ध शुरू हो जाएगा, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब हम सभी मिलकर गाजा का नवनिर्माण करेंगे।

इंकलाब (14 अक्टूबर) के अनुसार गाजा शांति समझौते के तहत इजरायल और हमास ने कैदियों और बंधकों को एक दूसरे के हवाले किया है। हमास के सशस्त्र विंग अल-कस्साम ब्रिगेड ने 20 इजरायली बंधकों को रेड क्रॉस के हवाले किया है। इसी तरह से इजरायल ने दो हजार फिलिस्तीनी कैदियों को अपनी जेलों से रिहा कर दिया है। जब फिलिस्तीनी कैदियों की बसें वेस्ट बैंक के शहर रामल्ला पहुंचीं तो भारी भीड़ ने उनका स्वागत किया। इनमें 1700 ऐसे कैदी भी थे, जिन्हें इजरायल ने गाजा युद्ध के दौरान अपनी हिरासत में लिया था। हमास के प्रवक्ता हाजेम कासिम ने फ्रांसीसी न्यूज एजेंसी 'एएफपी' को बताया कि हम अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प के उस बयान का स्वागत करते हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि अब गाजा में युद्ध समाप्त हो चुका है। कासिम ने कहा कि हम मध्यस्थ देशों से अपील करते हैं कि वे इजरायली रवैये की निगरानी करें ताकि वह हमारी जनता के खिलाफ आक्रामक कार्रवाईयां फिर से शुरू न कर सके।

दूसरी ओर, इजरायली संसद को संबोधित करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने कहा कि यह मध्य पूर्व के लिए एक नए युग की शुरुआत है। अब हमें गाजा के नवनिर्माण की ओर ध्यान देना चाहिए। इजरायल ने वह सब कुछ जीत लिया है जो ताकत के बल पर जीता जा सकता था। तमाम कठिनाइयों के बावजूद हमने असंभव को संभव बना दिया है। मैं अरब देशों और दुनियाभर के मुसलमानों को धन्यवाद देता हूं।

एक अन्य समाचार के अनुसार इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि उन्हें आशा है कि इजरायल और हमास के बीच शांति का दौर शुरू होगा। उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प की शर्तें बहुत साफ हैं। इन शर्तों के तहत हमास को अपने सभी हथियार डालने पड़ेंगे और उसे अपनी सैन्य क्षमता खत्म करनी पड़ेगी, वरना नरक की ज्वाला भड़क उठेगी।

उर्दू टाइम्स (14 अक्टूबर) ने अपने संपादकीय में कहा है कि इस युद्धविराम में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प और मिस्र के प्रयास सराहनीय हैं। समाचारपत्र ने कहा है कि समझौता तो हो गया है और चार देशों ने गारंटी भी ली है कि इस समझौते को अमल में लाने हेतु हमास और इजरायल को पाबंद बनाया जाएगा। समाचारपत्र ने संदेह जताया है कि इजरायल इस शांति समझौते पर अमल करने से पीछे भी हट सकता है, क्योंकि उसका कोई भरोसा नहीं है। वह अमेरिका को भी आंखें दिखा सकता है। हालांकि, यह साफ है कि मुस्लिम जगत की एकजुटता के कारण इजरायल गाजा से पीछे हटने के लिए तैयार हुआ है। समाचारपत्र ने दावा किया है अगर मुस्लिम देशों ने सामूहिक रूप से संयुक्त राष्ट्र से त्यागपत्र देने और नाटो की तरह इस्लामिक सेना बनाने की घोषणा न की होती तो ट्रम्प शांति समझौते के लिए इतनी भाग-दौड़ नहीं करते।

सियासत (14 अक्टूबर) ने शांति समझौते का स्वागत किया है। समाचारपत्र ने दावा किया है कि राष्ट्रपति ट्रम्प इस समझौते के लिए दुनियाभर

से वाहवाही बटोरने में लगे हुए हैं। यह जरूरी है कि अब फिलिस्तीन के नवनिर्माण पर ध्यान दिया जाए और फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी जाए।

अखबार-ए-मशरिक (16 अक्टूबर) ने अपने संपादकीय में इस समझौते का स्वागत करते हुए कहा है कि यह समझौता इस्लामिक जगत की एकजुटता के कारण हुआ है। अगर इस्लामिक जगत एकजुट नहीं होता तो यह समझौता कभी नहीं होता।

हिंदुस्तान (16 अक्टूबर) ने अपने संपादकीय में इस समझौते को अधूरी शांति करार दिया है। समाचारपत्र ने कहा कि अगर दुनियाभर के देश स्वतंत्र फिलिस्तीन राष्ट्र को मान्यता दें तो इस क्षेत्र में स्थायी शांति स्थापित हो सकती है। समाचारपत्र ने हैरानी प्रकट की है कि इस शांति समझौते में स्वतंत्र फिलिस्तीनी राष्ट्र का उल्लेख तक नहीं है। समाचारपत्र ने इस क्षेत्र में स्थायी शांति स्थापित होने पर संदेह प्रकट करते हुए कहा है कि तीन बिंदु ऐसे हैं, जिन पर दोनों पक्षों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई हैं। पहला, स्वतंत्र फिलिस्तीनी राष्ट्र की स्थापना, दूसरा, इजरायली सेना का गाजा से पूरी तरह से निष्कासन और तीसरा, हमास का निःशस्त्रीकरण। जब तक इन समस्याओं का समाधान नहीं होता तब तक इस क्षेत्र में स्थायी शांति की आशा करना फिजूल है।

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (16 अक्टूबर) ने कहा है कि जब इजरायल ने 7 अक्टूबर 2023 को गाजा के फिलिस्तीनियों पर अंधाधुंध हवाई हमलों की शुरुआत की थी तो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन थे। उन्होंने दिल खोलकर इजरायल को सैन्य सहायता उपलब्ध कराई। शुरू में ट्रम्प का रुख सकारात्मक नहीं था, लेकिन जब मुस्लिम देश फिलिस्तीनियों की मदद के लिए एकजुट हुए और उन्होंने विश्व इस्लामिक सेना बनाने की घोषणा की तो ट्रम्प ने इजरायल पर दबाव डालना शुरू किया। इस दबाव के कारण ही यह समझौता संभव हो सका है।

ईरान रूस से लड़ाकू विमान खरीदेगा

इंकलाब (8 अक्टूबर) के अनुसार अमेरिकी पत्रिका 'न्यूजवीक' ने पुष्टि की है कि ईरान ने रूस से 48 एसयू-35 लड़ाकू विमान खरीदने का फैसला किया है। ये विमान 600 करोड़ यूरो की लागत से खरीदे जाएंगे। रूस ईरान को इन विमानों की सप्लाई अगले दो सालों में करेगा। जानकार सूत्रों का दावा है कि ईरान इन विमानों की कीमत रूस को तेल सप्लाई करके अदा करेगा। जून महीने में ईरान और इजरायल के बीच हुए युद्ध के दौरान इजरायल ने ईरान पर हवाई हमले किए थे। ईरान ने इजरायली लड़ाकू विमानों और मिसाइलों के हमलों से बचने के लिए रूस से अत्याधुनिक लड़ाकू विमान और एस-500 वायु रक्षा प्रणाली प्राप्त करने हेतु उच्चस्तरीय वार्ता की थी। इस संबंध में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची और ईरानी रक्षा मंत्रालय के

उच्चाधिकारियों ने रूस की यात्रा की थी। इस दौरान रूस ने ईरान को अत्याधुनिक विमान और वायु रक्षा प्रणाली उपलब्ध कराने पर सहमति प्रकट की थी।

सियासत (5 अक्टूबर) के अनुसार ईरान में एक दिन में सात लोगों को सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई है। ईरानी न्यूज एजेंसी 'मिजान' के अनुसार इन पर आरोप है कि इन्होंने ईरानी सेना की एक चौकी पर हमला करके चार सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। इनमें से छह लोग जातीय अरब अलगाववादी थे। जबकि सातवें व्यक्ति का नाम समन मोहम्मदी खियारेह था। खियारेह का संबंध कुर्द समुदाय से था। सरकारी सूत्रों के अनुसार खियारेह ने कुर्द शहर सनांदाज में सरकार समर्थक सुन्नी मौलवी ममौस्ता शेख अल-इस्लाम की हत्या की थी।

गौरतलब है कि ईरान में इस वर्ष अब तक एक हजार से अधिक लोगों को फांसी पर लटकाया जा चुका है। सरकारी दावे के अनुसार इनमें से अधिकांश विदेशी जासूस थे। इन पर कई उच्च सैन्य अधिकारियों और परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या का आरोप था। एमनेस्टी इंटरनेशनल के अनुसार ईरान में चीन के बाद सबसे ज्यादा लोगों को फांसी पर लटकाया गया है। 2023 में ईरान में 850 लोगों को फांसी दी गई थी। जबकि पिछले साल 950 लोगों को फांसी पर लटकाया गया था। इस साल एक नया रिकॉर्ड बना है।

सूडानी सेना द्वारा 100 से अधिक विद्रोहियों की हत्या

हिंदुस्तान (14 अक्टूबर) के अनुसार सूडानी सशस्त्र बल की एक प्रेस विज्ञप्ति में दावा किया गया है कि सेना ने पश्चिमी सूडान में रैपिड सपोर्ट फोर्सेज (आरएसएफ) के 100 से अधिक विद्रोहियों को मौत के घाट उतार दिया है। इससे पहले विद्रोहियों ने एक कस्बे पर हमला किया था। इस हमले में 57 नागरिक मारे गए थे। दूसरी ओर, आरएसएफ के प्रवक्ता अल-फतेह कुरैशी ने दावा किया कि इस हमले में आरएसएफ का हाथ नहीं है। सरकारी सेना द्वारा इन नागरिकों की हत्या करके हमें दोषी ठहराया जा रहा है। अप्रैल 2023 में सरकारी सेना और आरएसएफ के बीच शुरू हुए संघर्ष में अब तक हजारों लोग मारे गए हैं और लाखों लोग विस्थापित हो गए हैं।

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (8 अक्टूबर) के अनुसार उत्तरी दारफुर की राजधानी अल-फशर में आरएसएफ की गोलीबारी में 13 लोग मारे गए

और 19 घायल हो गए। आरएसएफ ने दावा किया है कि उसने अल-फशर स्थित सूडानी सेना की छठवीं इन्फैंट्री डिवीजन के मुख्यालय पर कब्जा कर लिया है।

उर्दू टाइम्स (12 अक्टूबर) के अनुसार अल-फशर में पिछले तीन दिनों से हो रही झड़पों में कम-से-कम 53 नागरिक मारे गए हैं और 60 से अधिक लोग घायल हो गए हैं।

पृष्ठभूमि : उल्लेखनीय है कि सूडान की जनसंख्या लगभग पांच करोड़ है। इनमें से लगभग 70 प्रतिशत अरब मुसलमान हैं। सूडान में सोना, प्लैटिनम, कॉपर, जिंक और कोबाल्ट आदि के विशाल भंडार हैं। वहीं, दक्षिण सूडान को अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और संयुक्त राष्ट्र ने अलग देश घोषित कर रखा है। दक्षिण सूडान में मुसलमानों की आबादी सिर्फ छह प्रतिशत है। शेष आबादी ईसाइयों की है। सूडान का यह दुर्भाग्य है कि पिछले 30 सालों से वहां पर गृहयुद्ध जारी है। इस गृहयुद्ध में अब तक कम-से-कम 20 लाख लोग मारे जा चुके हैं और लगभग सवा करोड़ लोग बेघर हुए हैं।

सूडान में मई 1986 से लेकर जून 1989 तक अहमद अल-मिरघानी सत्तारूढ़ थे। 1989 में सूडानी सेना के तत्कालीन प्रमुख उमर अल-बशीर ने विद्रोह कर दिया और सत्ता अपने हाथ में ले ली। वे 30 सालों तक एक तानाशाह के रूप में सूडान पर शासन करते रहे। इसके बाद उनकी तानाशाही के खिलाफ जनाक्रोश भड़क उठा। सरकार विरोधी उग्र प्रदर्शनों और हड़तालों के कारण सूडान में 2019 में सैन्य क्रांति हुई और सूडानी सेना के प्रमुख जनरल अब्देल फतह अल-बुरहान ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। उन्होंने अपने सहयोगी और आरएसएफ के सेनापति जनरल मोहम्मद हमदान दगालो को उपराष्ट्रपति घोषित कर दिया। बाद में सत्ता पर कब्जे को लेकर इन दोनों दोस्तों के बीच संघर्ष छिड़ गया और तब से यह संघर्ष जारी है। सूडान अब दो गुटों में बंट चुका है। दोनों गुट सेना की सहायता से एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। इस गृहयुद्ध के कारण सूडान में भीषण खाद्य संकट है।

इजरायल द्वारा हूती सेना प्रमुख की हत्या

इंकलाब (17 अक्टूबर) के अनुसार यमन के हूती विद्रोहियों ने पुष्टि की है कि इजरायल ने हूती सेना प्रमुख मोहम्मद अब्द अल-करीम अल-घमारी की हत्या कर दी है। हूती प्रवक्ता ने घोषणा की है कि इजरायल को कभी न भूलने वाली सजा दी जाएगी। गौरतलब है कि अगस्त महीने में इजरायल ने हूती विद्रोहियों के साना स्थित मुख्यालय पर हवाई हमला करके हूती प्रधानमंत्री अहमद अल-रहावी समेत पूरे मंत्रिमंडल का सफाया कर दिया था।

हमारा समाज (4 अक्टूबर) के अनुसार यूरोपीय यूनियन ने अदन की खाड़ी में हूतियों द्वारा एक डच जहाज पर किए गए हमले की निंदा की है। यूरोपीय यूनियन के जन संपर्क विभाग द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि हूतियों ने यह हमला 29 सितंबर 2025 को किया था।

इस हमले में इस जहाज में सवार कई लोग मारे गए थे। जबकि यूरोपीय यूनियन के समुद्री मिशन ने कुछ लोगों को बचा लिया था। इस प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि हूतियों द्वारा व्यापारिक जहाजों पर किए जा रहे हमलों को सख्ती से रोकने की जरूरत है, क्योंकि यह अंतरराष्ट्रीय नियमों का खुला उल्लंघन है।

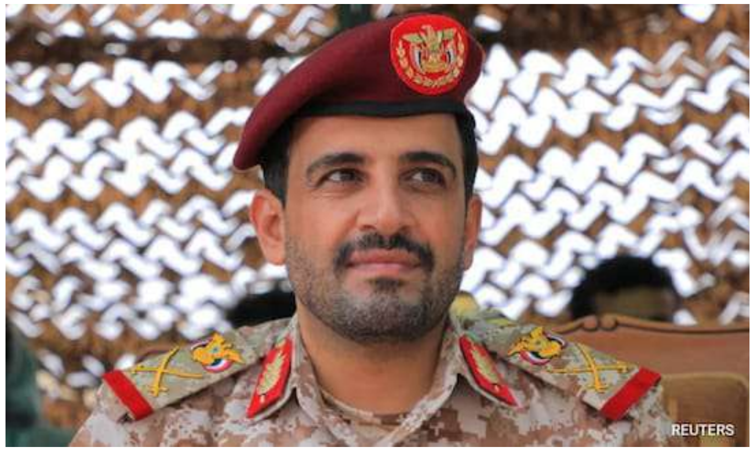

गौरतलब है कि इस जहाज पर हमले के बाद नीदरलैंड ने यूरोपीय यूनियन से मांग की थी कि हूतियों को पूरे विश्व में प्रतिबंधित किया जाए और उनके समूह को अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी संगठन घोषित किया जाए। यमन के विदेश मंत्रालय ने यूरोपीय यूनियन की इस मांग का समर्थन किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हूती समूह ईरान संचालित एक सैन्य संगठन है, जिसने जहाजों पर हमला करके दुनियाभर के व्यापारिक हितों को खतरे में डाल दिया है।

दूसरी ओर, हूती प्रवक्ता याह्या सारी ने कहा है कि यह हमला एक क्रूज मिसाइल द्वारा किया गया था। इस हमले से एक जहाज में आग लग गई और वह डूब गया।

सीरिया द्वारा रूस से सहायता की गुहार

इंकलाब (17 अक्टूबर) के अनुसार सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल-शरा ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की है। ब्रिटिश न्यूज एजेंसी 'रॉयटर्स' के अनुसार सीरिया के राष्ट्रपति ने रूस से कई महत्त्वपूर्ण सहायता मांगी है। पहली मांग यह है कि रूस सीरिया की सेना को अत्याधुनिक बनाने में सहायता करे। दूसरी मांग यह है कि संभावित इजरायली हमले को रोकने के

लिए रूसी सेना को फिर से सीरिया भेजा जाए। तीसरी मांग यह है कि सीरिया के जिन हवाई अड्डों पर रूसी विशेषज्ञ मौजूद हैं उन्हें वहीं पर तैनात रखा जाए। चौथी मांग यह है कि सीरिया के आर्थिक संकट को दूर करने के लिए खाद्य पदार्थों की सप्लाई की जाए। इसके अतिरिक्त दोनों देशों के बीच ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग पर भी बातचीत हुई है।

उर्दू टाइम्स (8 अक्टूबर) के अनुसार सीरियाई शहर अलेप्पो में सीरियाई सेना और सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस (एसडीएफ) के बीच जोरदार झड़पें हुई हैं। इन झड़पों में कई सैनिक मारे गए हैं। बताया जाता है कि एसडीएफ को अमेरिका का समर्थन प्राप्त है। ताजा जानकारी के अनुसार एसडीएफ अमेरिकी दबाव पर सीरिया के सरकारी सैनिकों के साथ युद्धविराम करने पर सहमत हो गया है। गौरतलब है कि सीरियाई सैन्य मुख्यालय ने घोषणा की थी कि देश के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में फिर से सैनिकों की तैनाती की जा रही है। इस क्षेत्र पर एसडीएफ का नियंत्रण है। इससे पहले एसडीएफ और सीरियाई सरकार के बीच हुए समझौते में यह तय हुआ था कि एसडीएफ को सीरिया की सरकारी सेना में शामिल कर लिया जाएगा।

गौरतलब है कि एक दशक से सीरिया का एक चौथाई हिस्सा एसडीएफ के कब्जे में है। इन क्षेत्रों में कुर्द रहते हैं। बताया जाता है कि सीरियाई सेना एसडीएफ के नियंत्रण वाले क्षेत्रों पर फिर से कब्जा करना चाहती है। इसके कारण इन इलाकों में युद्ध की ज्वाला भड़क उठी है। एसडीएफ के प्रवक्ता फरहाद शमी ने सीरिया सरकार पर आरोप लगाया है कि वह टैंकों के साथ कुर्द नियंत्रण वाले क्षेत्रों में घुसपैठ करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने इस सरकारी दावे का खंडन किया कि अलेप्पो के अशरफियाह और शेख मकसूद क्षेत्र सरकारी सेना के नियंत्रण में हैं।

RNI No. DELHIN/2017/72722

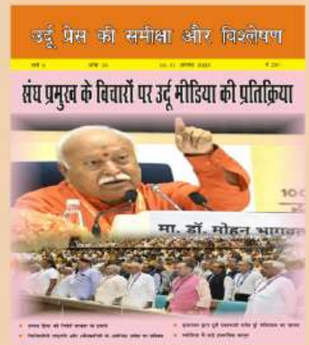

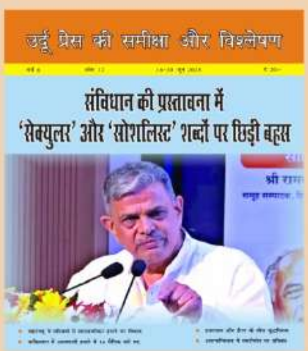

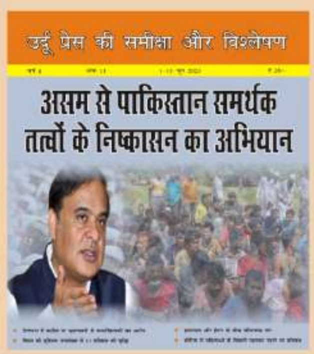

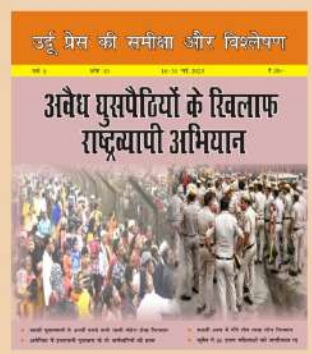

भारत नीति प्रतिष्ठान
India Policy Foundation

डी-51, प्रथम तल, हौजखास, नई दिल्ली-110016
दूरभाष : 011-26524018
ईमेल : info@ipf.org.in, indiapolicy@gmail.com
वेबसाइट : www.ipf.org.in